भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 823
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई का कार्यान्वयन

823. डॉ. लता वानखेड़े :
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री अतुल गर्ग:
श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित सूक्ष्म इकाइयों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत ऋण, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में कितने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) और सूक्ष्म उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं;
(घ) क्या यह योजना स्थानीय खाद्य परंपराओं, जीआई-टैग वाले उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद (ओडोओपी) मॉडल को बढ़ावा देती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पीएमएफएमई किस प्रकार ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण में योगदान देता है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने/उनका उन्नयन करने के लिए वित्तीय**,** तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में है ।

(ग): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत**,** 31 अक्टूबर 2025 तक 1363 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 236 किसान उत्पादक समूहों (एफपीओ) और 1**,**61**,**072 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए ऋण मंज़ूर किए गए हैं।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फ़ॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए , पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) तरीका अपनाती है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ज़िलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य देश के हर ज़िले (एक ज़िला एक उत्पाद) से कम से कम एक उत्पाद को चुनना, उसकी ब्रांडिंग करना और उसे बढ़ावा देना है, ताकि सभी इलाकों में समग्र सामाजिक-आर्थिक

उन्नति हो सके। ओडीओपी पहल के अंतर्गत, सभी उत्पादों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ज़मीन पर मौजूदा इकोसिस्टम और ज़िलों के अंतर्गत पहचाने गए उत्पादों को ध्यान में रखकर चुना है। इस योजना के अंतर्गत 35 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 726 ज़िलों के लिए ओडीओपी को मंज़ूरी दी गई है जिनमें जीआई-टैग वाले उत्पाद भी शामिल है।

(ङ): पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म उद्यमों का विस्तार कर और उन्हें औपचारिक बनाकर, विशेष कर एफपीओ, एसएचजी और सामान्य अवसंरचना के ज़रिए, तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार पैदा करके, ग्रामीण आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए एक मुख्य उत्प्रेरक का काम करती है। यह फसलोत्तर नुकसान को कम करके प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाकर, ओडीओपी और दूसरे कृषि खाद्य उत्पाद की शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाकर और पूरे साल सुरक्षित, पौष्टिक खाना उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाती है। यह योजना जिला-विशिष्ट ओडीओपी हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर, ऋण और क्षमता निर्माण के ज़रिए प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करके, अच्छे समूहन और प्रसंस्करण के लिए साझा अवसंरचना बनाकर, और ई-कॉमर्स, रिटेल और संस्थागत खरीदारों के साथ लिंकेज के ज़रिए बेहतर बाज़ार एकीकरण को मुमकिन बनाकर मूल्य श्रृंखला को भी मज़बूत करती है।

*****

अनुबंध

"पीएमएफएमई का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 823 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार हैं:

(i). *व्यक्तिगत / समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यम को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए है;

(ii). *प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता:* खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के हर सदस्य के लिए कार्यशील पूंजी और छोटे टूल्स खरीदने के लिए प्रारम्भिक पूंजी 40,000/- रुपए की दर से, जो प्रत्येक एसएचजी फ़ेडरेशन के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए है।

(iii). *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना सृजन में सहायता करने के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपए होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम लोगों के लिए भी क्षमता के पर्याप्त हिस्से के लिए हायरिंग बेसिस पर इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध होगी।

(iv). *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट:* एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v). *क्षमता निर्माण:* इस योजना में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए मॉडिफाइड किया गया है।